रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092025-266059
CG-DL-E-10092025-266059

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3989] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 10, 2025/भाद्र 19, 1947
No. 3989] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 10, 2025/BHADRA 19, 1947

गृह मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2025

का.आ. 4104(अ).— गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 3986(अ) तारीख 01.09.2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था, के हिंदी पाठ में :–

1. पहली अनुसूची में :-

(क) सारणी 1 हिमाचल प्रदेश, में :-

(i) "शिखर सम्मेलन" शब्द जहाँ कंही भी आते हैं, के स्थान पर, "शिखर" पढ़े।

(ii) क्रं. सं. 39 और 44 के सामने स्तंभ शीर्ष 'टिप्पणियां' में "करना" शब्द के स्थान पर "यथोक्त" पढ़े।

(iii) क्रं. सं. 42 के सामने स्तंभ शीर्ष 'चोटी का नाम' में "सांत्वना" शब्द के स्थान पर "कॉन्सोलेशन" पढ़े।

(iv) क्रं. सं. 55 के सामने स्तंभ शीर्ष 'चोटी का नाम' में "हिम शंकु" शब्द के स्थान पर "स्नो कोन" पढ़े।

(ख) सारणी 2 जम्मू-कश्मीर, में :-

(i) "शिखर सम्मेलन" शब्द जहाँ कंही भी आते हैं, के स्थान पर "शिखर" पढ़े ।

(ii) क्रं. सं. 8 के सामने स्तंभ शीर्ष 'चोटी का नाम' में "सोने का समय" शब्दों के स्थान पर "अग्यासोल" पढ़े ।

(iii) क्रं. सं. 12 के सामने स्तंभ शीर्ष 'चोटी का नाम' में "फबरंग मंगलवार" शब्दों के स्थान पर "मार्डी फाबरंग" पढ़े।

(ग) सारणी 3 लद्दाख, में :-

(i) "शिखर सम्मेलन" शब्द जहाँ कंही भी आते हैं, के स्थान पर "शिखर" पढ़े ।

(ii) क्रं. सं. 3 के सामने स्तंभ शीर्ष 'चोटी का नाम' में "शिखरिका" शब्द के स्थान पर "पिनाकल" पढ़े ।

(iii) क्रं. सं. 10 के सामने स्तंभ शीर्ष 'टिप्पणियां' में "करना" शब्द के स्थान पर "यथोक्त" पढ़े ।

(iv) क्रं. सं. 12 के सामने स्तंभ शीर्ष 'टिप्पणियां' में "52-ख-04" के स्थान पर "52-बी-04" पढ़े ।

(v) "भाग" शब्द जहाँ कंही भी आता हैं, के स्थान पर ''प्वाइंट" पढ़े ।

(vi) क्रं. सं. 47 के सामने स्तंभ शीर्ष 'टिप्पणियां' में "52-जी-02" के स्थान पर "52-जी-01" पढ़े ।

(vii) क्रं. सं. 50 के सामने स्तंभ शीर्ष 'टिप्पणियां' में "52-जी-04" के स्थान पर "52-जी-02" पढ़े ।

(viii) क्रं. सं. 59 के सामने स्तंभ शीर्ष 'टिप्पणियां' में "52-जी-05" के स्थान पर "52-जी-04" पढ़े ।

(ix) क्रं. सं. 60 के सामने स्तंभ शीर्ष 'टिप्पणियां' में "52-जी-09" के स्थान पर "52-जी-05" पढ़े ।

(x) क्रं. सं. 61 के सामने स्तंभ शीर्ष 'टिप्पणियां' में "52-जी-10" के स्थान पर "52-जी-09" पढ़े ।

(xi) क्रं. सं. 78 के सामने स्तंभ शीर्ष 'टिप्पणियां' में "52-जी-11" के स्थान पर "52-जी-10" पढ़े ।

(xii) क्रं. सं. 80 के सामने स्तंभ शीर्ष 'टिप्पणियां' में "52-के-03" के स्थान पर "52-जी-11" पढ़े ।

(xiii) क्रं. सं. 94 के सामने स्तंभ शीर्ष 'टिप्पणियां' में "52-के-04" के स्थान पर "52-के-03" पढ़े ।

(घ) सारणी 4 सिक्किम, में :-

(i) क्रं. सं. 8 के सामने स्तंभ शीर्ष 'चोटी का नाम' में "तम्बू" शब्द के स्थान पर "टेंट" पढ़े ।

(ड) सारणी 5 उत्तराखंड, में :-

(i) क्रं. सं. 2 के सामने स्तंभ शीर्ष 'टिप्पणियां' में "नीलामी" शब्द के स्थान पर "लीलम" पढ़े ।

(ii) क्रं. सं. 18 के सामने स्तंभ शीर्ष 'टिप्पणियां' में "चोटी" शब्द के स्थान पर "शिखर" पढ़े ।

(iii) क्रं. सं. 37 के सामने स्तंभ शीर्ष 'चोटी का नाम' में "गुंबद" शब्द के स्थान पर "डोम" पढ़े ।

2. दूसरी अनुसूची में :-

(i) "अनुछेद 11(2)" के स्थान पर "पैरा 11(2)" पढ़े ।

(ii) "नेता" शब्द जहाँ कंही भी आता हैं, के स्थान पर ''दल के मुखिया" पढ़े ।

(iii) टिप्पण में, (1) में, "d 1 rector@ 1 ndmount.org" के स्थान पर "director@indmount.org" पढ़े ।

(iv) टिप्पण में, (3) में, "www. 1 ndmount.org" के" स्थान पर "www.indmount.org" पढ़े ।

3. तीसरी अनुसूची में :-

(i) "अनुछेद 14(1)" के स्थान पर "पैरा 14(1)" पढ़े ।

(ii) तीसरी अनुसूची का परिशिष्ट हिमाचल प्रदेश, में, लाहोल और स्पीति जिला के अधीन क्रं. सं. 9 के सामने स्तंभ (2) में "प्रक्षेपण" शब्द के स्थान पर "हर्लिंग" पढ़े।

(iii) तीसरी अनुसूची का परिशिष्ट जम्मू-कश्मीर में, पृष्ट सं. 33 पर पंक्ति 11, पंक्ति 14, पंक्ति 16, पंक्ति 17 और पंक्ति 21 में "बिंदु" शब्द के स्थान पर "प्वाइंट" पढ़े ।

(iv) तीसरी अनुसूची का परिशिष्ट जम्मू-कश्मीर में, पृष्ट सं. 34 पर पंक्ति 1, पंक्ति 3, पंक्ति 8, पंक्ति 12 और पंक्ति 25 में "बिंदु" शब्द के स्थान पर "प्वाइंट" पढ़े ।

(v) तीसरी अनुसूची का परिशिष्ट जम्मू-कश्मीर में, पृष्ट सं. 35 पर पंक्ति 4 में "बिंदु" शब्द के स्थान पर "प्वाइंट" पढ़े।

(vi) तीसरी अनुसूची का परिशिष्ट जम्मू-कश्मीर में, पृष्ट सं. 36 पर पंक्ति 2 और पंक्ति 6 में "बिंदु" शब्द के स्थान पर "प्वाइंट" पढ़े ।

(vii) तीसरी अनुसूची का परिशिष्ट लद्दाख में, स्तंभ शीर्ष 'आंतरिक रेखा की स्थिति' में "शून्य बिंदु" शब्दों के स्थान पर "जीरो प्वाइंट" पढ़े ।

(viii) तीसरी अनुसूची का परिशिष्ट उत्तराखंड में "पवर्त" शब्द जहाँ कंही भी आता हैं, के स्थान पर ''पर्वत" पढ़े ।

4. चौथी अनुसूची में :-

(i) जहाँ कंही भी "जिला ।" शब्द आता हैं, के स्थान पर "जिला –" पढ़े ।

(ii) (अ) तिब्बती बस्तियाँ में क्रं. सं. 17 में, (iv) में "(a) बिलासलसा" को "(क) बिलासलसा" पढ़े ।

(iii) (अ) तिब्बती बस्तियाँ में क्रं. सं. 17 में, (iv) में "(b) कोयुल" को "(ख) कोयुल" पढ़े ।

(iv) (अ) तिब्बती बस्तियाँ में क्रं. सं. 17 में, (iv) में "(c) डुंगती" को "(ग) डुंगती" पढ़े ।

(v) (अ) तिब्बती बस्तियाँ में क्रं. सं. 17 में, (iv) में "(d) न्योमा" को "(घ) न्योमा" पढ़े ।

(vi) (अ) तिब्बती बस्तियाँ में क्रं. सं. 17 में, (iv) में "(ई) सुमडो" को "(ड) सुमडो" पढ़े ।

(vii) (अ) तिब्बती बस्तियाँ में क्रं. सं. 17 में, (iv) में "(ऋ) लामसंगन्याक" को "(छ) लामसंगन्याक" पढ़े ।

(viii) (अ) तिब्बती बस्तियाँ में क्रं. सं. 17 में, (iv) में "(लृ) सामान्य क्षेत्र: हैनली" को "(ज) सामान्य क्षेत्र: हैनली" पढ़े।

(ix) (अ) तिब्बती बस्तियाँ में क्रं. सं. 22 में, "(b) भालूवाला" को "(ख) भालूवाला" पढ़े।

5. पांचवीं अनुसूची में :-

(i) सारणी में, 'प्रस्तावित यात्रा की अवधि :' के सामने स्तंभ में तत्संबंधी प्रविष्टि "को" शब्द के स्थान पर "तक" पढ़े।

6. छठी अनुसूची में, अनुमत क्षेत्र के अधीन :-

(i) सारणी में स्तंभ शीर्ष "क्रम. नहीं।" के स्थान पर "क्र.सं." पढ़े।

(ii) सारणी के पश्चात "प्राधिकरण" शब्द को "प्राधिकारी" पढ़े।

[फा. सं. 25022/04/2025-एफ.I]

नितेश कुमार व्यास, अपर सचिव

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.09.10 22:46:29 +05'30'